

22/7/16

आदेश पत्रक

(आदेश अधिनियम हस्तक, 1941 का नियम 129)

क्र. सं. से क्र. सं. 200

प्रकार 2 स्थान खारिज वार सं. 334/16-17

अ. क्र. सं.	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में दिवसीय, तारीख स्थिति
-------------	----------------------------------	---

22/7/16

श्री अंगन बाबू पिता  
 श्री देवी साके सा. कवाड़ा (पत्नी)  
 अचल देवी जिला गिरिडीह द्वारा निर्माकित ब्यारे की  
 जमीन के राखिस खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।  
 आवेदित जमीन श्री युकासि चक्र सिंह वर्मा  
 पिता श्री सा. चतरी  
 अचल देवी के तजरिये केवाला नं. 3320  
 दिनांक 12/11/14 द्वारा क्रय किया गया है।  
 ग्राम भाग नं. छाता नं. प्लॉट नं. रकबा  
 चतरी 527 37 1853 2 1/2 बीघे

जांच हेतु प्राप्त  
 16/8/16

पंजी 27 मे दर्ज कर आम इस्तिहार निर्गत करे।  
 हत्का राजाव कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जांच कर  
 जांच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करे।  
 अभिलेख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करे।

लेखापति

अचल अधिकारी  
 देवी

अचल अधिकारी  
 देवी

16/8/16


अपिलेख उपस्थापित किया गया। आग इस्तेमाल निषिद्ध किया गया। सम्मिलित प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी ने कोई अपील नहीं किया है। ह. कर्म. / अ. नि. का बीच प्रतिवेदन देखा। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि घरगत जमीन रियल गै. छाह / जवाहरत छाह की है। जिसकी नपादत्री पंजी. 11 के फूड सं. 88 पर दर्ज है एवं विक्रेता के नाम जादादा जीली सिंघानिया से कायम है। जमीन भूदान भूदरवरी बन सीमा एवं सीमा से बाहर है। जमीन पर क्रोता का शांतिपूर्ण रखल है। व्यवहारेत भूमि के नामांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः ह. कर्म. एवं अ. नि. के बीच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रोता अंगारु साव पिता/पति एच. जी. साव के नाम से न्याय किया गया है।  
 क्रम/धारक सं. छाह सं. प्लॉट सं. रकबा फुट

न्याय 37 1853 2 1/2 1.00  
527

संबंधित सहायक तदनुसार शांति पत्र निगत करने

लेखापति

  
 अंमल अधिकारी  
 देवरी

  
 अंमल अधिकारी  
 देवरी

शुद्धि पत्र निवेदित किया गया। हस्ता कार्याकारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दे।

  
 अंमल अधिकारी  
 देवरी

अंमल अधिकारी देवरी  
